फैक्स / क्यूमेल / आवश्यक

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

टावर–1 चर्तुथ तल, सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर विस्तार, लखनऊ–226002

संख्याःअठ्ठारह–एएसआई(लेखा)271–23 दिनांकःलखनऊःअक्टूबर 26 ,2023

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक, लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली–2015 (यथा–संशोधित) में निहित निर्देशों के अन्तर्गत अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) से पुलिस उप निरीक्षक(लेखा) के पद पर पदोन्नति हेतु भर्ती बोर्ड स्तर पर गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्याः पीआरपीबी–चार–10(33)–2023 दिनॉकः18.10.2023 द्वारा इस मुख्यालय को उपलब्ध कराई गयी है, जिसमें 32 कार्मिकों को पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) से पुलिस उप निरीक्षक(लेखा) के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया है। उपयुक्त पाये गये 32 कार्मिकों के सापेक्ष वर्तमान में दिनॉकः30.09.2023 तक पुलिस उप निरीक्षक(लेखा) की 20 रिक्तियॉ विद्यमान है, जिनका पदोन्नति आदेश निर्गत किया जा रहा है। शेष बच रहे 12 कार्मिकों का पदोन्नति आदेश माह अक्टूबर 2023 से जून 2024 तक माहवार घटित होने वाले पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) की रिक्तियों के सापेक्ष निर्गत किया जायेगा। अध्यक्ष उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी विभागीय चयन समिति की संस्तुति पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के फलस्वरूप वर्तमान में उपलब्ध रिक्ति के सापेक्ष निम्नलिखित 20 कार्मिकों को तत्कालिक प्रभाव से इनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही पुलिस उपनिरीक्षक (लेखा) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है, जिसका विवरण निम्नवत हैः–

क0 सं0	वरिष्ठता कमांक	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	872121445	संजय कुमार सैनी	स्व0 वेदप्रकाश सैनी	01-07-66	09 BN	2023
2	8	970600066	सुभाष चन्द्र	स्व0 राम प्रसाद राम	31-07-69	COMM. VNS	2023
3	14	990970013	प्रद्युम्न नारायण पाण्डेय	स्व0 भवानी प्रसाद पाण्डेय	15-08-78	35 BN	2023
4	17	992190026	लालमनी देवी	स्व0 रामदुलारे	01-08-74	MAU	2023
5	18	002231714	प्रवेन्द्र कुमार सिंह	स्व0 श्रीखान सिंह	07-08-77	COMM. AGA	2023
6	20	022070050	मुनेश देवी	श्री करन सिंह	02-04-76	PMT MDD	2023
7	21	022450021	पवन कुमार गुप्ता	स्व0 भरत प्रसाद गुप्ता	05-04-79	PTS JLN	2023
8	22	022130017	रविकान्त सिंह	रमाकान्त सिंह	10-05-81	GDA	2023
9	27	022672041	मजहर अली खान	स्व0 जाकिर अली खान	02-05-81	MDD	2023
10	30	022160049	शिवपूजन विश्वकर्मा	स्व0 बंगाराम	15-08-73	BLA	2023
11	32	022090065	रविकान्त यादव	स्व0 श्रीकान्त यादव	01-07-81	MZR	2023
12	33	022810016	कु0 पुष्पा देवी	स्व0 विश्राम सागर	08-06-80	PHQ LKW	2023
13	37	022060020	मनोज कुमार तिवारी	स्व0 महावीर प्रसाद तिवारी	19-01-82	PAC HQ	2023
14	40	031870014	राम प्रिया त्रिपाठी	स्व0 जय प्रकाश त्रिपाठी	03-02-67	SIT LKW	2023

क्र0 सं0	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ	नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
15	43	032410059	श्रीमती बबली सिंह	स्व0 सुशील कुमार सिंह	05-08-74	LKW/ RHQ	2023
16	44	030741001	मुकेश कुमार	स्व0 श्री झब्बा सिंह यादव	01-03-76	06 BN	2023
17	46	032520011	सर्वेश कुमार सिंह	स्व0 श्री रामखेलावन सिंह	15-01-80	APTS MZR	2023
18	47	030551480	श्रीमती मंजू देवी	स्व0 श्री सुनील कुमार	12-01-81	RPR	2023
19	50	032920013	महेश कुमार मिश्रा	स्व0 राम सुमेर मिश्र	12-09-82	PAC HQ	2023
20	53	032410033	श्रीमती पुष्पा पाण्डेय	स्व0 विपिन बिहारी पाण्डेय	05-08-64	COMM. KNR	2023

2— पदोन्नति पाये उक्त पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई /शाखा पर कार्यभार ग्रहण करेगें। उक्त कर्मियों के परिवीक्षा काल हेतु उ0प्र0 पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली—2015 (यथा संशोधित) में अंकित प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अपेक्षित होगी।

3— पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व संबंधित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) से **संलग्न प्रारूप (क)** में स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्याः 13/21/89—का—1—1997 दिनांकः 28.05.1997 के खण्ड—2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉः—

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप—पत्र जारी किया जा चुका है।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप—पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उपरोक्त तीनों परिस्थितियॉ सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के विरूद्ध विद्यमान न हों।

4— यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर—3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं हैं तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) को पुलिस उप निरीक्षक (लेखा) के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर—3 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का कियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या इस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा—निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

5— यदि सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस जनपद/इकाई में सम्बन्धित पुलिस सहायक उपनिरीक्षक (लेखा) द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित संबंधित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख इस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– आदेश की प्रति उ0प्र0 पुलिस की वेबसाईट http://uppolice.gov.in पर प्रदर्शित की जा रही है।

संलग्नकः प्रारूप (क)

(सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज)
पुलिस अधीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।
26.10.23

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–अध्यक्ष, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
2–अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय/एस0आई0टी0, लखनऊ/तकनीकी सेवाएं/दूरसंचार/उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय लखनऊ/पी0टी0एस0 जालौन।
3–पुलिस आयुक्त, आगरा/वाराणसी/लखनऊ/कानपुर नगर।
4–समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
5–समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।
6–पुलिस उपमहानिरीक्षक, एपीटीएस मीरजापुर।
7–वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,मऊ/गोण्डा/मुरादाबाद/बलिया/मीरजापुर/रामपुर
8–सेनानायक, 09वीं/35वीं/06वीं, वाहिनी पीएसी।
9–पुलिस मोटर वाहन अधिकारी, मुरादाबाद।

स्वघोषणा–पत्र

मैं शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)————————————————————————————पुत्र ————————————निवासी————————————थाना——————————जनपद————————————— वर्तमान में(जनपद/इकाई)———————————————————————————नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण सत्र———————————————का पुलिस सहायक उप निरीक्षक(लेखा) हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि:–

(1) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई——————————में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांकः——————को आरोप–पत्र दिया गया है।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0————————————धारा————————————————————————थाना————————————

जनपद————————में लम्बित है, जिसमें दिनांकः————————को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी————————————द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में————————————स्तर पर चल रहा है।

2– मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा–पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा।

हस्ताक्षर

नाम/पदनाम/पीएनओ
नियुक्ति स्थान–
दिनांकः–

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी

नाम/पदनाम की मुहर

नोट–स्वघोषणा–पत्र के प्रस्तर–1 के उपप्रस्तर–(1), (2) व (3) में से जो लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (x) दिया जाय।